न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा

निर्णय दिनांक 04.12.2019

राजस्व दावा संख्या 193/2014

1. उदी बेवाह बालूराम पुत्री रूपाराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर तहसील बीकानेर 2. पप्पूराम 3. बाबूराम पिसरान रामी पुत्री रूपा जाति जाट निवासी लूणवास तहसील फलौदी जिला जोधपुर। 4. भीखा पत्नी अनोपाराम पुत्री रामी जाति जाट निवासी डाडरवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

.........वादीगण

बनाम

1. ~~केशसराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी सांईसर तहसील नोखा जिला बीकानेर~~ (मृतक) 1/1. फुसाराम 1/2. माणकराम 3. श्रवणराम पिसरान केशराराम 2. हीरां पत्नी स्व. श्रीराम पुत्री रूपाराम जाति जाट निवारी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) नोखा।

........प्रतिवादीगण

उपरिथतिः—

1. श्री सीताराम बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण की और से।
2. प्रतिवादीगणसं. 1 ता 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
3. पैरोकारराज

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दावा वादी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि मुतनाजा भूमि ग्राम सांईसर तहसील नोखा जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 348 तादादी 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 349 तादादी 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 350 तादादी 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 351 तादादी 2.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1149 तादादी 3.16 हैक्टयर कुल तादादी 5.69 हैक्टयर मे स्थित है। जो वादी संख्या 1 के पिता तथा वादी संख्या 2 ता 4 के नाना व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता रूपा वल्द चेतन की खातेदारी भूमि रही है। रूपा वल्द चेतन के फौत होने के बाद वादगत भूमि हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ता 4 की माता रामी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं बगतू बेवा रूपाराम मे निहित हुई। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ता 4 की माता रामी तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम छोड़ते हुए वादीगण की पीठ पीछे बाला बाला तरीके से बगतू बेवा रूपाराम व अपने नाम विरासतन इंतकाल संख्या 333 दर्ज करवा लिया जो कानुन की निगाह मे नल एण्ड वॉयड होने से ननेस्ट है। वादीगण रूपाराम वल्द चेतन के

लगातार 2

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

4/12

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 193/2014

जायज वारिसान है जिनका हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादगत भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/5—1/5 हिस्सा बनता है। तथा बगतु बेवा रूपाराम के फौत हो जाने के कारण वादीगण का वादगत भूमि मे 1/4—1/4 हिस्सा बनता है। जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है। दिनांक 25.08.2014 को वादीगण वादगत भूमि मे अपने हिस्से की काश्त की हुई भूमि की देखभाल कर रहे थे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि इस बार तो वादगत भूमि मे वादीगण ने अपना हिस्सा काश्त कर लिया है तथा आज दिनांक तक वादीगण द्वारा काश्त नही करने पर उनका हिस्सा दिया जाता रहा है लेकिन अब पिताजी को गुजरे हुए काफी वर्ष बीत गए है तथा माता बगतू का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड मे अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रह गई है। इसलिए वादीगण वादगत भूमि को आईंदा काश्त नही करे तथा कब्जा छोड़ कर चले जावे। वादीगण के यह कहने पर कि वादगत भूमि वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 ता 4 के नाना रूपाराम की रही है इसलिए वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ता 4 की माता रामी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादगत भूमि मे बराबर हक व हिस्सा बनता है तथा उसी अनुसार वादीगण द्वारा अपना हिस्सा काश्त किया जाता रहा है इसलिए वादीगण अपने हिस्से की भूमि का कब्जा नही छोड़ेगे। प्रतिवादी संख्या 1 नाराज हो गया तथा ऐलानिया धमकी दी कि भले ही वादगत भूमि रूपाराम वल्द चेतन की होने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का वादगत भूमि मे बराबर हक व हिस्सा बनता हो लेकिन माता बगतू के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 अपना अकेले का नाम अंकित करवायेगा। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 वादगत भूमि मे वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही मानता है यदि वादीगण ने वादगत भूमि को काश्त करना नही छोड़ा तो प्रतिवादी संख्या 1 वादगत भूमि को बैय कर वादीगण को वादगत भूमि से बेदखल कर ताकतवर खरीददार को काबिज करवा देगा। । यही घटना विनाय दावा मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादगत भूमि मे वादीगण के खातेदारी अधिकारो को इंकार करने तथा वादगत भूमि अजनबी व्यक्तियो को बैय कर वादीगण को बेदखल करते हुए कब्जा करवाने की धमकी देने से वादीगण के काश्तकारी अधिकारो पर संकट के बादल छा गए है। ऐसी स्थिति मे वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण वादगत भूमि मे अपने हक व हिस्से की घोषणा करवाने व प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का दावा न्यायालय मे प्रस्तुत करे, इस हेतु यह दावा प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट को लैण्ड होल्डर होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है लेकिन उससे

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

लगातार 3

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 193/2014

कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसी कदर जमाबंदी मे अंकित बगतू बेवा रूपाराम फौत हो चुकी है इसलिए उसे पक्षकार नही बनाया गया है। अतः दावा वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें एवं डिक्री घोषणात्मक बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी की जावें कि वादगत भूमि ग्राम सांईसर के खसरा नम्बर 348 तादादी 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 349 तादादी 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 350 तादादी 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 351 तादादी 2.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1149 तादादी 3.16 हैक्टयर कुल तादादी 5.69 हैक्टयर मे वादी संख्या 1 को 1/4 व वादी संख्या 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा इंतकाल संख्या 333 वादीगण के काश्तकारी अधिकारो पर नल एण्ड वॉयड घोषित किया जावे एवं चिर निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 24.11.2016 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 को स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 1 के जायज वारिस रिकार्ड पर लेने के आदेश प्रदान किये गये। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पेशी दिनांक 2.11.2017 शेष प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पेशी दिनांक 12.9.2018 को वादी की तरफ से प्रदर्श 1 उदी का साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। आज पेशी दिनांक 4.12.2019 को प्रकरण में बहस समाअत की गई । वकील वादीगण ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि मुतनाजा भूमि वादी संख्या 1 के पिता तथा वादी संख्या 2 ता 4 के नाना व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता रूपा वल्द चेतन की खातेदारी भूमि रही है। रूपा वल्द चेतन के फौत होने के बाद वादगत भूमि हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ता 4 की माता रामी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं बगतू बेवा रूपाराम मे निहित हुई। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 ता 4 की माता रामी तथा प्रतिवादी संख्या 2 का नाम छोड़ते हुए वादीगण की पीठ पीछे बाला बाला तरीके से बगतू बेवा रूपाराम व अपने नाम विरासतन इंतकाल संख्या 333 दर्ज करवा लिया जो कानुन की निगाह मे नल एण्ड वॉयड होने से ननेस्ट है। वादीगण रूपाराम वल्द चेतन के जायज वारिसान है जिनका हिंदु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादगत भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के साथ 1/5–1/5 हिस्सा बनता है। तथा बगतु बेवा रूपाराम के फौत हो जाने के कारण वादीगण का वादगत भूमि मे 1/4–1/4 हिस्सा बनता है। जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है। इसलिए वादगत भूमि मे वादी संख्या 1 को 1/4 व वादी संख्या 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा इंतकाल संख्या 333 वादीगण के काश्तकारी अधिकारो पर नल एण्ड वॉयड घोषित किया जावे एवं चिर निषेधाज्ञा जारी की जावे।

लगातार 4

4/12
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 193/2014

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील वादीगण की इकतरफा बहस के तर्को पर मनन किया व पत्रावली के साथ सलंग्न दस्तावेजात का अध्ययन अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का खंडन हमारे समक्ष किसी पक्षकार द्वारा नही किया गया है इसलिए वादीनी का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादीनी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि ग्राम सांईसर के खसरा नम्बर 348 तादादी 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 349 तादादी 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 350 तादादी 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 351 तादादी 2.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1149 तादादी 3.16 हैक्टयर कुल तादादी 5.69 हैक्टयर मे वादी संख्या 1 को 1/4 व वादी संख्या 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित जाता है पर्चा डिकी जारी हो साथ ही अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/3 व 2 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बेजा दखलअन्दाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार नोखा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

4/2/19

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री बमुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा

बईजलास रमेश देव आर.ए.एस.

उदी पत्नी बालूराम पुत्री रूपाराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

बनाम ~~केसरम~~ 1/1 फुसाराम वगैरहा

दावा बाबत घोषणात्मक

मुकदमा नम्बर 193/2014

निर्णय दिनांक 04.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम बिश्नोई, मिनजानिब मुदई प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही तथा स्टेट की ओर से पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि ग्राम सांईसर के खसरा नम्बर 348 तादादी 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 349 तादादी 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 350 तादादी 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 351 तादादी 2.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1149 तादादी 3.16 हैक्टयर कुल तादादी 5.69 हैक्टयर मे वादी संख्या 1 को 1/4 व वादी संख्या 2 ता 4 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 को 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित जाता है पर्चा डिक्री जारी हो साथ ही अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/3 व 2 के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बैजा दखलअन्दाजी ना करे ना ही करावे। तहसीलदार नोखा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयावी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 04 माह **दिसम्बर** सन् **2019** को जारी किया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * नोखा (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0
6.कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0
योग	0

प्रतिवादी	रूपया
1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्लीडर की फीस	0
4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5. आदेशिका की तामिल	0
6. कमिश्नर की फीस	0
योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.24 18:09:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: